

कायोलय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद राजस्थान

जिला कलेक्टर कमरा नम्र 218 व 219

ग्राम : प्रारूप - 2
ई-मेल : rajsamanddeo@gmail.com

फोन : 02952 221547

फैक्स : 02952 221547

क्रमांक : जिशिआ/प्राशि/राजस/शैप्र०/11/RTE/58

दिनांक : २७.१.२

प्रबन्धक /व्यवस्थापक

गांधी सेवा सदन राजसमंद

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18

के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम

2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक [प्राप्ति] के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश जैसे लाला निकेतन (उंगड़ी माध्यम) स्कूल राजसमंद (विद्यालय का नाम पते रहित) को इन्हें २०११-१२ से दिनांक [प्राप्ति] तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्ष १ से कक्ष ८ तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की समूक्षा देता हूँ। उपरोक्त स्त्रीकृति निगमनियित

जाती को पूछ किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपायधि 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपायधि 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और अलानप्रद समूह के बालकों को प्रयोग प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय यो अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरित्यां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके गाता-पिता या संरक्षक को किसी रक्तीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निषासित नहीं किया जायेगा।
 (ii) किसी भी बालक को शारीरिक डड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से लोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशरणात्मक प्रत्येक बालक को अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, पाव वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अंजित करेंगे।
 (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, पाव वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अंजित करेंगे।
 (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

मम ।


PRINCIPAL
BALHIKETAN SR. SEC. EM. SCH.
GANDHI SEVA SADAN
RAJSAMAND (RAJ.) 313326


गांधी सेवा सदन
राजसमंद (राज.)


- (VIII) अध्यापक समय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।
- 8 विद्यालय समृद्धि प्राधिकारी द्वारा अधिकारीषित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सानियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र	20.02 लकड़ 20896 वर्गफीट
कूल निभित क्षेत्र	
झीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	
कक्षों की संख्या	14
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भौतिक कक्ष	1
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शोचालय	10 - 5
पेयजल सुविधा	मल
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोइ	-
बाधा रहित पहुंच	द्वा
अध्यापक पठन सामग्री/झीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुरस्कारालय की उपलब्धता	स्वदोषला वृची अनुसार

- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर भान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओं या झीड़ा रथन का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजरथान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजरथान लोक न्यास अधिनियम 1969 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किसी अन्य व्यष्टियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेंट द्वारा रापरीदा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विषय नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विषय की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड राख्याक 7.3 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद द्वारा अपेक्षित हो जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं। सोसायटी के पजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 18 संलग्न उपायध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।


PRINCIPAL
 DALMIKETAN SR. SEC. EM. SCH.
 GANDHI S/ NO. AM
 RAJKOTMANI 13326

महि।
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा राजसमंद


 मंत्री
 गांधी सेवा संदर्भ
 राजसमंद (राज.)